<u>न्यायालय, सिविल जज सि0डि0, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर</u>

<u>विभाजन वाद–13 / 2023</u>

अरविन्द शर्मा.........................वादी

बनाम

प्रयाग शर्मा वगैरह..प्रतिवादीगण

<u>आदेश</u>

<u>08.12.25</u> अभिलेख आज वादी की ओर से प्रदर्श करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–11.08.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में उनकी ओर से दिनांक–05.05.2025 को फ्रिस्त सबूत के साथ वादी द्व्ज्ञारा उपसमाहर्ता जिला अभिलेखागार, दरभंगा से मौजा लोदीपुर, थाना दलसिंहसराय, जिला समस्तीपुर के खेसरा 309, 307, 308, 303, 306, 302, 301, 299, 300 के रकवा एवं रैयत के संबंध में मांगी गई सूचना में समाहारणालय अभिलेखागार दरभंगा द्वारा दी गई सूचना दाखिल है जो सभी लोक दस्तावेज है। अतः निवेदन है कि अवेदनांकित दस्तावेजों को लोक दस्तावेज के रूप में प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु लंबित है तथा वादी द्वारा दाखिल आवेदनांकित दस्तावेजों की सच्ची प्रतिलिपि है, जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है, चूँकि उभय पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण एवं वाद के अंतिम विनिश्चयन हेतु प्रदर्श अंकन का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन को वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन न्यायहित में **स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय आवेदनांकित दस्तावेजों, यदि अभिलेख पर उपलब्ध हो, को क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें** तथा वादी अविलंब अपना साक्ष्य पूर्ण करें।

वाद दिनांक–   वास्ते वादी साक्ष्य हेतु।

सिविल जज सि0डि0,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।